Recruitment Qual. for Teachers

(1)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2001/भाद्र 13, 1923

No. 238] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2001/BHADRA 13, 1923

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2001

फा. सं. 9-2/2001/राअशिप.— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) की धारा 12(ग) के साथ गठित धारा 32 की उपधारा (2) की धारा (घ) (झ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है :

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रावधान

इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 ।

ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. प्रयोज्यता

ये विनियम केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रारंभिक (प्रारंभिक तथा उच्च माध्यमिक/मिडिल स्कूल) माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित, संचालित अथवा सहायताप्राप्त अथवा मान्यताप्राप्त सभी औपचारिक स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए लागू होंगे ।

3. भर्ती के लिए अर्हताएं

(i) उपर्युक्त खण्ड 2 में उल्लिखित शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापकों की भर्ती के लिए अर्हताएं इन विनियमों की पहली और दूसरी अनुसूचियों में दिए अनुसार होंगी । पहली अनुसूची में निर्धारित अर्हताएं स्कूल विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की भर्ती के मामले में लागू होंगी । दूसरी अनुसूची में उल्लिखित अर्हताएं शारीरिक शिक्षा के लिए अध्यापकों की भर्ती के मामले में लागू होंगी ।

(ii) कार्यानुभव, कला शिक्षा आदि जैसे सह-पाठ्यचर्यात्मक कार्यकलापों के लिए अध्यापकों की भर्ती के निमित्त मौजूदा अर्हताएं अथवा संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य अर्हताएं लागू होंगी ।

(iii) अध्यापक की अध्यापन के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति की स्थिति में सम्बन्धित स्तर के लिए संगत अनुसूचियों में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता आवश्यक होगी ।

4. भर्ती नियमों में संशोधन

मौजूदा भर्ती नियमों को इन अनुसूचियों में निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप बनाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित किया जा सकता है । इस बीच इन विनियमों को जारी किए जाने के बाद मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए अध्यापकों के लिए अनुसूची में निर्धारित अर्हताएं प्राप्त करनी आवश्यक होंगी ।

5. ढील देने के अधिकार

सम्बन्धित सरकार से इस आशय के किसी मामले के प्राप्त होने पर कि ऐसी विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं जिनमें विनियमों के प्रावधानों में कुछ समय के लिए ढील दी जानी आवश्यक है, संतुष्ट होने पर, परिषद् उस प्रावधान में उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह न्यायोचित और समानता की दृष्टि से आवश्यक समझे ढील दे सकती है ।

6. व्याख्या

यदि इन विनियमों की व्याख्या अथवा विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समतुल्यता के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा ।

415

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 की पहली अनुसूची

विनियमों के खण्ड 2 में उल्लिखित शैक्षिक संस्थानों में अध्यापकों की भर्ती के लिए अर्हताएं

स्तर	न्यूनतम शैक्षिक /व्यावसायिक अर्हताएं
1. प्रारंभिक **(क) प्राथमिक**	(i) उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र अथवा इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष । (ii) बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण में कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र । अथवा (iii) बी.एल.एड. (बैचलर आफ एजूकेशन)
(ख) उच्च प्राथमिक (मिडिल स्कूल सैक्शन)	(i) उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र अथवा इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष। (ii) प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण में कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र। अथवा बी.एल.एड. (बैचलर आफ एजूकेशन) अथवा बी.एड. अथवा उसके समतुल्य सहित स्नातक
2. **माध्यमिक/हाई स्कूल**	बी.एड. अथवा उसके समतुल्य सहित स्नातक अथवा चार वर्षीय एकीकृत बीएस.सी, बी.एड.

416

	अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम ।
3. उच्च माध्यमिक/पीयूसी/इण्टरमीडिएट	बी.एड. अथवा उसके समतुल्य सहित संगत विषय में एम.ए. अथवा दो वर्षीय एकीकृत एम.एससी.एड. पाठ्यक्रम अथवा उसके समतुल्य पाठ्यक्रम

टिप्पणी

1. प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दो वर्ष की अवधि का बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जरूरी है । बी.एड. बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान नहीं ले सकता ।

2. कुछ राज्यों में केवल एक वर्ष की अवधि वाले बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं जबकि कुछ अन्य राज्यों में माध्यमिक स्तर की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिल किया जाता है । ऐसे राज्यों को 2005 तक उच्च माध्यमिक/इण्टरमीडिएट पास प्रत्याशियों को दाखिल करते हुए कम से कम दो वर्ष की अवधि के बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए । इस बीच जिन उम्मीदवारों ने एक वर्ष की अवधि का बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है अथवा जो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवल माध्यमिक स्तर की परीक्षा पास करने के बाद दाखिल हुए थे, उन्हें केवल संबंधित राज्यों में ही नौकरी प्रदान की जाए ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पात्रता अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 की दूसरी अनुसूची

विनियमों के खण्ड दो में उल्लिखित शैक्षिक संस्थानों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की भर्ती के लिए अर्हताएं

स्तर	न्यूनतम शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हताएं
1. प्रारंभिक	(i) उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र अथवा इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष, तथा (ii) शारीरिक शिक्षा में कम से कम दो वर्ष की अवधि का प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सी.पी.एड.) अथवा उसके समतुल्य ।
2. माध्यमिक/हाई स्कूल	बी.पी.एड. (बैचलर आफ एजूकेशन) अथवा उसके समतुल्य सहित स्नातक ।
3. उच्च माध्यमिक (शारीरिक शिक्षा एक वैकल्पिक विषय हो तो)	एम.पी.ई./एम.पी.एड. (दो वर्ष की अवधि)

टिप्पणी

1. कुछ राज्य शारीरिक शिक्षा में केवल एक वर्ष की अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चला रहे हैं जबकि कुछ अन्य राज्यों में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के प्रमाणपत्र कार्यक्रम में माध्यमिक स्तर की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को दाखिला दिया जाता है । ऐसे राज्यों को 2005 तक उच्च माध्यमिक/इण्टरमीडिएट पास प्रत्याशियों को दाखिल करते हुए शारीरिक शिक्षा में कम से कम दो वर्ष की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित करना होगा । इस बीच जिन उम्मीदवारों ने शारीरिक शिक्षा में एक वर्ष की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है अथवा जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में माध्यमिक स्तर की परीक्षा पास करके दाखिला लिया था उन्हें केवल संबंधित राज्यों में रोजगार या नौकरी प्रदान की जाए ।

[सं. विज्ञापन III/IV/131/2001/असा.]

एस. के. रॉय, सदस्य-सचिव

410

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2001

F. No. 9-2/2001/NCTE.— In exercise of the powers conferred under clause (d)(i) of sub-section (2) of Section 32 read with Section 12(d) of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Council hereby makes the following Regulations:

1. **Short title and commencement**

These Regulations may be called the NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (DETERMINATION OF MINIMUM QUALIFICATIONS FOR RECRUITMENT OF TEACHERS IN SCHOOLS) REGULATIONS, 2001.

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applicability**

These Regulations shall be applicable for recruitment of teachers in all formal schools established, run or aided or recognised by Central or State Government and other authorities for imparting education at elementary (primary and upper primary/middle school), secondary and senior secondary stages.

3. **Qualifications for Recruitment**

i) The qualifications for recruitment of teachers in educational institutions mentioned in Section 2 above shall be as given in the First and Second Schedules to these Regulations. The qualifications prescribed in the First Schedule shall apply for recruitment of teachers for teaching school subjects. The qualifications prescribed in the Second Schedule shall apply for recruitment of teachers for Physical Education.

ii) For recruitment of teachers for co-curricular activities such as work experience, art education, etc., existing qualifications or such other qualifications as may be prescribed by the concerned government shall apply.

iii) For promotion of teachers from one level to the next level of teaching, minimum qualification as given in the Schedules for the concerned level would be required.

4. **Amendment of Recruitment Rules**

The existing recruitment rules may be modified within a period of three years so as to bring them in conformity with the qualifications prescribed in the Schedules. Meanwhile, teachers appointed as per the existing recruitment qualifications, subsequent to the issue of these Regulations, will be required to acquire qualifications as prescribed in the Schedules.

5. Power to relax

Where the Council is satisfied, on receipt of reference from the concerned Government, that special circumstances exist warranting relaxation of some of the provisions of the regulations for sometime it may grant relaxation of that provision to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary in a just and equitable manner.

6. Interpretation

If any question arises relating to interpretation of these Regulations or equivalence of various teachers' training programmes, decision of the Council shall be final.

First *Schedule to the National Council for Teacher Education (Determination of Qualifications for Recruitment of Teachers) Regulations 2001*

Recruitment qualifications for recruitment of teachers in educational institutions mentioned in Section 2 of the Regulations

LEVEL	MINIMUM ACADEMIC AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
I **Elementary** (a) Primary	(i) Senior Secondary School certificate or Intermediate or its equivalent ; and (ii) Diploma or certificate in basic teachers' training of a duration of not less than two years. OR Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)
(b) Upper Primary (Middle school section)	(i) Senior Secondary School certificate or Intermediate or its equivalent ; and (ii) Diploma or certificate in elementary teachers training of a duration of not less than two years. OR Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) OR Graduate with Bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent.
II **Secondary/High School**	Graduate with Bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent. OR Four years' integrated B.Sc., B.Ed. or an equivalent course.
III **Senior Secondary/ PUC/ Intermediate**	Master's Degree in the relevant subject with Bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent. OR Two years' integrated M.Sc.Ed. course or an equivalent course.

Note :

1. For appointment of teachers for primary classes, basic teachers' training programme of 2 years' duration is required. B.Ed. is not a substitute for basic teachers' training programme.

2. Some of the States are having basic teachers' training courses of one year duration only, while in some other States students passing secondary level examination are admitted to primary level teacher training courses. Such States may, by 2005, conduct basic teachers' training programmes of a duration of not less than two years with admission being open to Senior Secondary / Intermediate pass candidates. In the meantime candidates who have undergone basic teachers' training courses of one year duration or were admitted to such training programmes after passing secondary level examination only may be given employment in the concerned States only.

Second *Schedule to the National Council for Teacher Education (Determination of Qualifications for Recruitment of Teachers) Regulations 2001*

Qualifications for recruitment of teachers of Physical Education in Educational Institutions mentioned in Section 2 of the Regulations

LEVEL	MINIMUM ACADEMIC AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
I **Elementary**	(i) Senior Secondary School certificate or Intermediate or its equivalent ; and (ii) Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) of a duration of not less than two years or its equivalent.
II **Secondary/High School**	Graduate with Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) or its equivalent.
III **Senior Secondary** (Physical Education as an elective subject)	M.P.E./M.P.Ed. (2 year duration)

Note :

1. Some of the States are having certificate in physical education courses of one year duration only, while in some other States students passing secondary level examination are admitted to certificate in physical education courses. Such States may, by 2005, conduct certificate in physical education programmes of a duration of not less than two years with admission being open to Senior Secondary / Intermediate pass candidates. In the meantime candidates who have undergone certificate courses in physical education of one year duration or were admitted to such programmes after passing secondary level examination only may be given employment in the concerned States only.

[No. ADVT. III/IV/131/2001/Exty.]

S. K. RAY, Member-Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2003/ज्येष्ठ 8, 1925
No. 83] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2003/JYAISTHA 8, 1925

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2003

फा. सं. 9-2/2001/राअशिप.— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73 वां) की धारा 12 (घ) के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) (i) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रवर्तन:** इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) (संशोधन) विनियम 2003 कहा जाएगा।

ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **संशोधन की सीमा:** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 में खण्ड 2 - 'प्रयोज्यता' के अधीन निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(i) ये विनियम केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा स्कूल-पूर्व / नर्सरी जिसके बाद औपचारिक स्कूल में पहले दो वर्ष की अवधि आती है, प्रारम्भिक (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक / मिडिल स्कूल) माध्यामिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित, संचालित अथवा सहायताप्राप्त अथवा मान्यताप्राप्त सभी औपचारिक स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए लागू होंगे।

(ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम 2001 की उसके अधीन टिप्पणियों को छोड़कर, पहली अनुसूची इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. इन विनियमों के माध्यम से किए गए संशोधनों से इस प्रकार निरस्त किए गए किन्हीं विनियमों का कोई पूर्व प्रचालन अथवा इसके अधीन विधिवत रूप से किया गया कोई प्रचालन प्रभावित नहीं होगा।

एस. के. राय, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2003/असा.]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2003 की पहली अनुसूची

विनियमों के खण्ड 2 में उल्लिखित शैक्षिक संस्थानों में अध्यापकों की भर्ती के लिए भर्ती अर्हताएं

संख्या	स्तर	न्यून्तम शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं
(I)	स्कूल-पूर्व / नर्सरी (4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए)	(i) माध्यमिक स्कूल (कक्षा X) प्रमाणपत्र अथवा उसके समतुल्य; तथा (ii) स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा / प्रमाणपत्र

(II)	स्कूल-पूर्व / नर्सरी जिसके बाद औपचारिक स्कूल में पहले दो वर्ष की अवधि आती है (4-6 वर्ष तथा 6-8 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए)	(i) कम से कम 45% अंकों सहित उच्च माध्यामिक स्कूल (कक्षा XII) अथवा इन्टरमीडिएट अथवा उसके समतुल्य; तथा (ii) नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा / प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
(III)	प्रांरभिक (क) प्राथमिक	(i) उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र अथवा उसके समकक्ष। (ii) बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण में कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र। (iii) बी.एल.एड. (बैचलर आफ एजूकेशन)
	(ख) उच्च प्राथमिक (मिडिल स्कूल सैक्शन)	(i) उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र अथवा इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष। (ii) प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण में कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र। अथवा बी.एल.एड. अथवा उसके समतुल्य सहित स्नातक

(IV)	माध्यमिक / हाई स्कूल	बी.एड. अथवा उसके समतुल्य सहित स्नातक अथवा चार वर्षीय एकीकृत बी.एस.सी., बी.एड. अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम।
(V)	उच्च माध्यमिक / पी.यू.सी / इण्टरमीडिएट	बी.एड. अथवा उसके समतुल्य सहित संगत विषय में स्नातकोत्तर अथवा दो वर्षीय एकीकृत एम.एस.सी. एड. पाठ्यक्रम अथवा उसके समतुल्य पाठ्यक्रम

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2003

F. No. 9-2/2001/NCTE.— In exercise of the powers conferred under clause (d)(i) of sub-section (2) of Section 32 read with Section 12(d) of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Council hereby makes the following Regulations to amend the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001.

1. Short title and commencement

These Regulations may be called the NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (DETERMINATION OF MINIMUM QUALIFICATIONS FOR RECRUITMENT OF TEACHERS IN SCHOOLS)(AMENDMENT) REGULATIONS, 2003.

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Extent of amendment

(i) The provision under Section 2 – 'Applicability' in the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 shall be substituted by the following :-

These Regulations shall be applicable for recruitment of teachers in all formal schools established, run or aided or recognised by Central or State Government and other authorities for imparting education at pre-school, nursery followed by first two years in formal school, elementary (primary and upper primary/middle school), secondary and senior secondary stages.

(ii) The first Schedule, other than the notes thereunder, to the NCTE (Determination of Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 shall be substituted by the Schedule annexed to these Regulations.

3. The amendments made through these Regulations shall not affect the previous operation of any regulations so repealed or any duly done under it.

S. K. RAY, Member-Secy.

[ADVT III/IV/131/2003/Exty.]

ANNEX

First Schedule to the National Council for Teacher Education (Determination of Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) (Amendment) Regulations, 2003

Recruitment qualifications for recruitment of teachers in educational institutions mentioned in Section 2 of these Regulations.

LEVEL	MINIMUM ACADEMIC AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
I **Pre-School / Nursery** (For children in the age group of 4-6 years)	(i) Secondary School (Class ten) certificate or its equivalent; and (ii) Diploma/Certificate in Pre-school teacher education programme of a duration of not less than one year.
II **Pre-School / Nursery followed by first two years in a formal school.** (For children in the age-group of 4-6 and 6-8 years)	(i) Senior Secondary School (class twelve) Certificate or Intermediate or its equivalent with at least 45% marks; and (ii) Diploma/Certificate in Nursery teacher education programme of a duration of not less than two years.
III **Elementary** (a) Primary	(i) Senior Secondary School certificate or Intermediate or its equivalent; and (ii) Diploma or certificate in basic teachers' training of a duration of not less than two years. OR Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)
(b) Upper Primary (Middle school section)	(i) Senior Secondary School certificate or Intermediate or its equivalent; and (ii) Diploma or certificate in elementary teachers training of a duration of not less than two years. OR Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) OR Graduate with Bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent.

IV **Secondary /High School**	Graduate with Bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent. OR Four years' integrated B.Sc., B.Ed. or an equivalent course.
V **Senior Secondary/PUC / Intermediate**	Master's Degree in the relevant subject with Bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent. OR Two years' integrated M.Sc.Ed. course or an equivalent course.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

x copies Needed (11)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2005/भाद्र 8, 1927
No. 121] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2005/BHADRA 8, 1927

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2005

फा. सं. 34-2/2005/राअशिप/समन्वय.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) अधिनियम, 1993 के खण्ड 19 के उप-खण्ड (1) तथा उप-खण्ड (2) की धारा (झ) तथा (त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (कार्यकारी समिति को कार्यों और शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 1995 का प्रतिस्थापन करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. लघुशीर्ष और प्रवर्तन

(i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (कार्यकारी समिति को कार्यों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2005 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कार्य

(i) कार्यकारी समिति परिषद् द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित विशेष कार्य करेगी।

(ii) कार्यकारी समिति को परिषद् द्वारा प्रत्यायोजित मामलों पर कार्रवाई करने और निर्णय लेने का अधिकार तथा शक्तियां प्राप्त होंगी।

पी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन/III/IV/135/05-असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2005

F. No. 34-2/2005/NCTE/CDN.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (i) and (p) of sub-section (2) of Section 32 read with sub-section (1) of Section 19 of the National Council for Teacher Education Act, 1993, and in supersession of the National Council for Teacher Education (assignment of functions and powers to the Executive Committee) Regulations, 1995, the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (assignment of functions to the Executive Committee) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Functions :**

(1) The Executive Committee shall carry out the specific functions to be assigned to it by the Council from time to time.

(2) The Executive Committee shall have the authority and the powers to act and decide in the matters assigned to it by the Council.

V.C. TEWARI, Member Secy.

[Advt./III/IV/131/05-Exty.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2005

फा. सं. 9-5/2001/राअशिप.—राअशिप (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना से पूर्व मौजूद संस्थानों से मान्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि) विनियम, 2001 का, जो कि दिनांक 27-09-2001 की इसी संख्या की अधिसूचना के अधीन अधिसूचित किए गए थे और जो 5-10-2001 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग—III, खण्ड 4 में संख्या 270 के रूप में प्रकाशित हुए थे, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

उपर्युक्त विनियमों का निरसन इन विनियमों के अधीन पहले से लिए गए किसी निर्णय/कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा।

वी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन/III/IV/131/05-असा.]

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2005

F. No. 9-5/2001/NCTE.—The NCTE (Procedure to be followed in processing applications for recognition received from institutions existing prior to the establishment of NCTE) Regulations, 2001 notified vide Notification of even number dated 27-09-2001 and published in the Gazette of India Extraordinary Part-III—Section 4 as number 270 on 5-10-2001 is hereby repealed.

2. The repeal of the aforesaid regulations shall not affect any decision/action already taken under these regulations.

V.C. TEWARI, Member Secy.

[Advt./III/IV/131/05-Exty.]

अधिसूचना (This Regulation kept in Norms Regulation folder)

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2005

फा. सं. 49-5/2005/राअशिप/मानदण्ड और मानक.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा निर्धारित मौजूदा विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के इच्छुक संस्थान को राअशिप से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ-साथ सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र की सरकार से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा कराना जरूरी होता है। राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन के बिना प्राप्त हुए आवेदन पत्र पर राअशिप की सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर विचार करते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की बाबत राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन के अनुमोदन पर विचार किया जाएगा। कभी-कभी संस्थानों के आवेदन पत्र भेजते समय कुछ राज्य/संघशासित क्षेत्रों की सरकारें इस बात का उल्लेख कर देती हैं कि इस अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन के रूप में न समझा जाए और राअशिप की क्षेत्रीय समिति से कोई विशेष अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए संस्थान को मान्यता न प्रदान करने का अनुरोध करती हैं। इस तरह की स्थितियों को विनियमित करने की जरूरत महसूस की गई है।

अतः, अब, राअशिप अधिनियम, 1993 के खण्ड 32 के उप-खण्ड (2) की धारा (च) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. लघुशीर्ष और प्रवर्तन

ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) संशोधन विनियम, 2005 कहलाएंगे।

2. संशोधन की सीमा

दिनाँक 6 जून 2003 के विनियमों द्वारा यथा संशोधित दिनाँक 13.11.2002 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के विनियम 6 की धारा (IV) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा

'मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय क्षेत्रीय समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र / अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की बाबत राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र के अनुमोदन पर विचार किया जाएगा । यदि किसी मामले में कोई राज्य / संघशासित क्षेत्र की सरकार संस्थानों के आवेदन पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र / अनुमोदन के बिना भेजती है और कोई विशेष अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्थानों को मान्यता न देने का अनुरोध करती है तो राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से राज्य / संघशासित क्षेत्र की सरकार के निर्णय के समर्थन में सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के समक्ष तथ्य और आंकड़ों के साथ स्थिति का औचित्य सिद्ध करने को कहा जाएगा और केवल तभी सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति द्वारा सम्बन्धित राज्य / संघशासित क्षेत्र के संस्थानों के आवेदन पत्रों पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी ।'

वी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन/III/IV/131/05-असा.]

पाद टिप्पणी :

(1) मूल विनियम अधिसूचना संख्या फा. 9-18/2002/राअशिप दिनांक 13-11-2004 के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) सं. 248 दिनांक 18-11-2002 को प्रकाशित किए गए।

(2) संशोधन विनियम अधिसूचना सं. फा. 48-6/2003/राअशिप (एन एण्ड एस) दिनांक 6-6-2003 के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) सं. 100 दिनांक 23-6-2003 को प्रकाशित किए गए।

(3) दूसरा संशोधन विनियम अधिसूचना सं. फा. 48/6/2003/राअशिप (एन एण्ड एस) दिनांक 21-8-2003 के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) सं. 133 दिनांक 29-8-2003 को प्रकाशित किए गए।

(4) तीसरा संशोधन विनियम अधिसूचना सं. फा. 53/3/2003/राअशिप (एन एण्ड एस) दिनांक 1-2-2004 के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) सं. 3 दिनांक 5-1-2004 को प्रकाशित किए गए।

(5) चौथा संशोधन विनियम अधिसूचना सं. फा. 53/3/2003/राअशिप (एन एण्ड एस) दिनांक 21-3-2005 के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) सं. 45 दिनांक 1-4-2005 को प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2005

F. No. 49-5/2005-NCTE/N&S.— As per provisions in the existing Regulations laid down by the National Council for Teacher Education (NCTE), an institution desirous of starting a teacher education programme is required to submit a No Objection Certificate (NOC) from the State/ UT Govt. concerned along with the application form for seeking recognition from NCTE. Application without NOC / endorsement of the State

Government / UT shall not be processed by the concerned Regional Committee of NCTE. The NOC / endorsement of the State Government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. Sometimes, some of the State / UT Govts., while forwarding the applications of institutions mention that it should not be treated as NOC / endorsement and request the Regional Committee of NCTE for not granting recognition to institutions for starting a particular teacher training programme. A need has been felt to regulate such circumstances.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under clauses (f) and (g) of sub-section (2) of Section 32 of NCTE Act, 1993, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following regulations, namely -

1. **Short title and commencement**

   (i) These Regulations may be called the "NCTE (form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) (5th Amendment) Regulations, 2005.

   (ii) They shall come in to force with effect from the date of their publication in the official Gazette.

2. **Extent of Amendment**

In the NCTE (form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 dated 13.11.2002 as amended by Regulations dated June 6, 2003, clause (iv) of Regulation 6 shall be substituted as under :

"The NOC / endorsement of the State government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. In the event of a State / UT Govt. forwarding applications of institutions without NOC / endorsement and requesting for not granting recognition to institutions for conducting a particular teacher training programme, the State Representatives will be asked to justify the position with facts and figures before the Regional Committee concerned in support of the decision of the State / UT Govts. and only thereafter, the applications of the institutions of the State / UT concerned shall be taken up for further processing by the Regional Committee concerned."

V.C. TEWARI, Member Secy.
[Advt./III/IV/131/05-Exty.]

Foot Note :

1. The main Regulations were published vide Notification No.F.9-18/2002/NCTE dated 13.11.2002 in the Gazette of India Extra-Ordinary (Part III, Section 4) on November 18, 2002 as No.248.
2. The Amendment Regulations were published vide Notification No.F.48-6/2003/NCTE(N&S) dated 6.6.2003 in the Gazette of India Extra-ordinary (part III, Section 4) on 23.6.2003 as No.100.
3. The Second Amendment Regulations were published vide Notification No. F.48-6/2003/NCTE (N&S) dated 21.8.2003 in the Gazette of India Extra-Ordinary (Part III, Section 4) on 29.8.2003 as No.133.
4. The Third Amendment Regulations were published vide Notification No.F.53-3/2003/NCTE(N&S) dated 1.1.2004 in the Gazette of India Extra-Ordinary (Part-III, Section 4) on 5.1.2004 as No.3
5. The Fourth Amendment Regulations were published vide Notification No.F.53-3/2003/NCTE(N&S) dated 21.3.2005 in the Gazette of India Extra-Ordinary (Part-III, Section 4) on 1.4.2005as No.45.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2005

फा. सं. 91–1/2005/राअशिप/मानदण्ड और मानक.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 1993 के खण्ड (घ)(i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् 29–5–2005 को अधिसूचित, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2003 द्वारा यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. लघुशीर्ष और प्रवर्तन

(i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण (संशोधन) विनियम 2005 कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. संशोधन की सीमा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 की पहली अनुसूची में स्कूल-पूर्व / नर्सरी (4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए) तथा स्कूल-पूर्व / नर्सरी जिसके बाद औरचारिक स्कूल में पहले दो वर्ष की अवधि आती है के लिए न्यूनतम शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अर्हताओं से सम्बन्धित मद संख्या I तथा II निम्न द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी :

2584 GI/05-2

संख्या	स्तर	न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं
1.	स्कूल-पूर्व / नर्सरी (4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए)	(i) माध्यमिक स्कूल (कक्षा X) प्रमाणपत्र अथवा उसके समतुल्य; तथा (ii) स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा / प्रमाणपत्र अथवा बी.एड़ (नर्सरी)
2.	स्कूल-पूर्व / नर्सरी जिसके बाद औपचारिक स्कूल में पहले दो वष की अवधि आती है (4-6 वर्ष तथा 6-8 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए)	(i) कम से कम 45% अंकों सहित उच्च माध्यमिक स्कूल (कक्षा XII) अथवा इन्टरमीडिएट अथवा उसके समतुल्य; तथा (ii) नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अथवा बी.एड़ (नर्सरी)

वी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन/III/IV/131/05-असा.]

पाद टिप्पण : मूल विनियम दिनांक 3 सितम्बर 2001 की अधिसूचना संख्या फा. 9-2/2001/राअशिप के अधीन अधिसूचित और सितम्बर 2001 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में संख्या 238 के रूप में सितम्बर 2001 को प्रकाशित किए गए थे । इन्हें बाद में दिनांक 28 अप्रेल 2003 की अधिसूचना संख्या फा. 9-2/2001/राअशिप के अधीन संशोधित और भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में संख्या 83 के रूप में 29 मई 2003 को प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New delhi, the 23rd August, 2005

F. No. 91-1/2005-NCTE/(N&S). In exercise of the powers conferred under Section (d)(i) of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the Council hereby makes the following regulations to amend further the National Council for Teacher Education (determination of minimum qualifications for recruitment of teachers in schools) Regulations, 2001, as amended vide National Council for Teacher Education (determination of minimum qualifications for recruitment of teachers in schools) (amendment) Regulations, 2003, notified on 29.05.2003, namely :-

1. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (determination of minimum qualifications for recruitment of teachers in schools) (amendment) Regulations, 2005

(ii) They shall come in to force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Extent of Amendment

In the first schedule to the National Council for Teacher Education (determination of minimum qualifications for recruitment of teachers in schools) Regulations, 2001, item No. I & II relating to minimum academic and professional qualifications for pre-school / nursery (for children in the age-group for 4-6 years) and pre-school/ nursery followed by first two years in a formal school, shall be substituted by the following :-

Level	Minimum academic and professional qualifications
I. Pre-school/ nursery (for children in the age group of 4-6 years)	(i) Secondary school (class ten) certificate or its equivalent; and (ii) Diploma / certificate in pre-school teacher education programme of a duration of not less than one year, or B.Ed. (nursery).
II. Pre-school/ nursery followed by first two years in a formal school. (For children in the age group of 4-6 and 6-8 years)	(i) Senior Secondary School (class twelve) Certificate or Intermediate or its equivalent with at least 45% marks; and (ii) Diploma/ Certificate in Nursery Teacher Education Programme of a duration of not less than two years, or B.Ed. (nursery).

V.C. TEWARI, Member Secy.

[ADVT./III/IV/131/05-Exty.]

Foot Note : The main regulations were notified vide notification No.F.9-2/2001/NCTE dated 3rd September, 2001 and published in the Gazette of India Extra-ordinary part III, Section 4 as number 238 dated September, 2001. These were subsequently amended vide notification number F.9-2/2001-NCTE dated April 28, 2003 and published in the Gazette of India, part III Section 4 as number 83 on May 29, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064